

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठाकान क्रमांक / B/215
दो-15-18/2001 (संशोधन)

जबलपुर, दिनांक 14 जनवरी, 2016

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना फा. क. 17(ई)43/2009/3866/इकीस-ब (एक)/15, दिनांक 12 जनवरी, 2016 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु अग्रेषित है :—

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6 को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. रजिस्ट्रार-कम माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ हेतु अग्रेषित।
4. रजिस्ट्रार जनरल की निज सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्रिसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)/सतर्कता/(I.L.R. & Examination) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
6. प्रिसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर/ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
7. श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड/अनूपपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. जिला जज (निरीक्षण), जबलपुर/इन्डौर/ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
10. संचालक/अतिरिक्त संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
11. रजिस्ट्रार (व्ही.एल.) /जिला स्थापना/न्यायिक-1/ न्यायिक-2/ प्रशासन/निरीक्षण/ Examination & Labour Judiciary/ I.T., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
12. अनुभाग अधिकारी गोपनीय/ चेकर/ कार्यशाखा/ बजट/ जिला स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
13. सर्वर रूम नेट पर अपलोड करने हेतु।

14.1.2016
(विवक सक्सेना)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
जिला स्थापना

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2016

फा. क्रमांक 17(ई)43 / 2009 / 3866 / इक्कीस-ब(एक) / 15, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 43 / 2009 / 2251 / इक्कीस-ब (1) / 13, दिनांक 10 मई, 2013 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3 एवं 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3	कु. ज्योति राजपूत, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर
11	श्री मोहम्मद अरशद, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड"

NOTIFICATION

F.No.17(E) 43/2009/3866/XXI-B (1)/15,- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F.No.17(E)43/2009/2251/XXI-B (I)/13, dated 10th May, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 3 and 11 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"3	Ku. Jyoti Rajput, Civil Judge Class-II	Anuppur	Anuppur	Anuppur	Anuppur
11	Shri Mohd. Arshad, IIInd Addl. Judge to Ist Civil Judge Class-I	Bhind	Bhind	Bhind	Bhind"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार